महत्वपूर्ण एवं खास

आयुक्त नगर निगम ने ली डेंगू के संबंध में बैठक

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में नगर निगम आयुक्त सुनील कुमार चंद्रवंशी ने आज स्वास्थ्य कार्यालय में डेंगू के मामलों पर आपातकालीन बैठक ली। जिसमें उन्होंने जनसामान्य को जागरूक करने हेतु घर-घर जाकर सोर्स रिडक्शन करते समय डेंगू के रोकथाम के लिए सही जानकारी देते हुए लोगों को सुरक्षित किस प्रकार किया जाए तथा उनके मन में डेंगू के प्रति भयावह भ्रम को सही जानकारी देने हेतु निर्देश देते हुए समझाईश देने की बात कही। साथ ही डेंगू के प्रचार-प्रसार, आईइसी के अन्य प्रभावी माध्यमों एवं पोस्टर बैनर लगाए जाने हेतु निर्देश दिए। सीएमएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। अभी फिलहाल डेंगू के प्रकरण पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि वे ज्यादा भ्रमित न हो। स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम की टीम संयुक्त रूप से सोर्स रिडक्शन का कार्य कर रही है।

मारपीट मामले में जूटमिल पुलिस की त्वरित कार्यवाही : आरोपी युवक को गैरजमानती धाराओं पर गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। थाना जूटमिल क्षेत्र में दिनांक 13 सितंबर 2024 के शाम राजकुमार चौहान, उम्र 49 वर्ष, निवासी जेलपारा, रायगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसी दिन शाम को जब वह मुक्तिधाम से शव का दाह संस्कार कर स्नान करके अपने घर लौट रहे थे, तो उसके घर के सामने रहने वाले खगेश्वर बसंत, उम्र 21 वर्ष, निवासी कयाघाट, मुक्तिधाम चौक, जूटमिल ने उन्हें अश्लील गालियां दीं और ब्लेड से उनके पीठ पर हमला कर दिया, जिससे उनकी पीठ पर घाव हो गया। हमले के दौरान आसपास के लोगों के आने पर आरोपी खगेश्वर बसंत वहां से भाग गया। घटना की रिपोर्ट पर थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 411/2024 धारा 296(2), 351(2), 115(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई। थाना प्रभारी जूटमिल, निरीक्षक मोहन भारद्वाज घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे।पुलिस टीम ने आहत के बयान दर्ज किए और उनका मेडिकल परीक्षण केजीएच अस्पताल में कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 118(1) जोड़ी गई और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी खगेश्वर बसंत को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना में थाना जूटमिल की पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई के लिए सराहना की गई है।

अवैध शराब तस्करी पर कोतरारोड़ पुलिस की दो कार्यवाई, दो आरोपियों से अवैध महुआ शराब जब्त

रायगढ़। कोतरारोड़ पुलिस ने माइनर एक्ट के तहत अवैध शराब तस्करी के खिलाफ दो कार्रवाई को अंजाम देते हुए ग्राम जोरापाली में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशानुसार थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। **पहली कार्रवाई-** मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जोरापाली चौक पर यात्री प्रतीक्षालय के पास पैदल थैला लेकर शराब तस्करी कर रहे युवक को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी दीपक दास महंत (पिता: हृदय दास महंत, उम्र: 24 वर्ष, निवासी: बायंग, थाना कोतरारोड, जिला रायगढ़) के कब्जे से एक प्लास्टिक जरीकेन और स्प्राइट बोतल में भरी हुई कुल 07 लीटर महुआ शराब जिसकी कीमत लगभग 700 रुपये आंकी गई है, को जप्त किया गया। **दूसरी कार्रवाई:** इसी दौरान एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने जोरापाली चौक पर यात्री प्रतीक्षालय के पास मोटरसाइकिल से शराब की तस्करी कर रहे एक अन्य युवक को पकड़ा। आरोपी रोशन सिदार (पिता: चंदन सिदार, उम्र: 29 वर्ष, निवासी: बरमुडा, थाना कोतरारोड, जिला रायगढ़) के पास से कुल 08 लीटर कच्ची महुआ शराब (कीमत लगभग 800 रुपये) और तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (बजाज सीटी 100, रजिस्ट्रेशन नंबर: CG 13 AP 7104, कीमत लगभग 14,000 रुपये) जप्त की गई है।

बापू नगर में सोर्स रिडक्शन कर किया गया दवा का छिड़काव

- स्वास्थ्य एवं नगर निगम की टीम घर-घर दस्तक देकर लोगों को कर रही जागरूक
- डेंगू के प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए किया जा रहा निरंतर कार्य

रायगढ़

कलेक्टर से कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में डेंगू सोर्स रिडक्शन का कार्य किया जा रहा है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की टीम संयुक्त रूप से प्रभावित क्षेत्रों के घरों में पहुंच लोगों से मिलकर डेंगू संभावित स्थानों का निरीक्षण करते हुए मौके पर दवाईयों का छिड़काव भी कर रही है। वही कलेक्टर गोयल के निर्देश पर निगम आयुक्त सुनील कुमार चंद्रवशी द्वारा डेंगू नियंत्रण व रोकथाम को लेकर प्रति सप्ताह शनिवार एवं रविवार को समीक्षा की जा रही है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से कार्य किया जा सके।

इसी कड़ी में आज आयुक्त नगर निगम सुनील कुमार चंद्रवंशी एवं सीएमएचओ डॉ.बी.के.चंद्रवंशी द्वारा बापू नगर वार्ड क्रमांक 5 में 180 घरों का सर्वे कर सोर्स रिडक्शन का कार्य किया गया। डेंगू न फैले उसके लिए सभी स्थानों में सफाई के निर्देश दिए गए एवं डेंगू प्रभावित घरों का विजिट कर जानकारी ली जा रही है। इस दौरान वहां दवाइयों का भी छिड़काव किया गया। निगम आयुक्त एवं सीएमएचओ ने घर-घर जाकर दस्तक देते लोगों को डेंगू के लक्षण के संबंध में जागरूक करने के साथ लोगों को साफ पानी के ठहरने न होने देने की समझाइश दी, ताकि डेंगू न फैले।

आयुक्त नगर निगम सुनील कुमार चंद्रवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है और जिन क्षेत्रों में डेंगू के प्रकरण देखे जा रहा है उन क्षेत्रों में निरीक्षण कर लोगों को जागरुक करते हुए दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू प्रभावित मरीजों के घर विजिट कर जानकारी ली जा रही है। डेंगू के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, निगम एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य कर रहे है।

सीएमएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में डेंगू के प्रकरण में कमी आयी है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा इस दिशा में सतत प्रयास किया जा रहा है कि ताकि नियंत्रण एवं रोकथाम की स्थिति बनी रहे। जिला स्तर से अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रायगढ़ के शहरी क्षेत्रों के समस्त वार्डों में डेंगू के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोर्स रिडक्शन एवं लार्वा सर्वे का कार्य निरंतर किया जा रहा है। बरसात के समय कुछ-कुछ जगहों पर पानी का ठहराव रहता है जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में लार्वा पाये जाने की संभावना बढ़ जाती है ऐसे जगहों में सर्वे करके स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लार्वा नाशक टेमिफॉस डाला जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के.चंद्रवंशी ने जन सामान्य से अपील की है कि डेंगू के मच्छर स्थिर एवं साफ पानी में ही पनपते हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू के उत्पत्ति के स्थान घरों में ही होते हैं, इसलिए लोगों को अपने घरों की सफाई में ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि डेंगू के मच्छर कुलर में एक हफ्ता से रखा हुआ स्थिर एवं साफ पानी, बिना ढ़के हुए प्लास्टिक एवं सीमेंट टैंक का साफ पानी, फ्रिज के पीछे ट्रे, गमले में जमा हुआ पानी, पशु एवं पक्षियों के लिए रखा हुआ साफ पानी, नारियल के खोल, टूटे हुए बर्तन एवं डिस्पोजल, गड्ढ़ो में बारिश का जमा हुआ साफ पानी, टायरों में जमा हुआ साफ पानी, अन्य ऐसे स्थान या वस्तु जिसमें स्थिर साफ पानी जमा हो रहा है वहाँ पनपते हैं। उन्होंने जनसामान्य से अपील की कि वे अपने घरों में इन स्थानों की सफाई करें और डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोकें।

"नाईज पॉल्यूशन" को लेकर शासन के सख्त निर्देश, नियमों के पालन नहीं करने पर डीजे संचालक और वाहन मालिक पर होगी सख्त कार्यवाई

- शासन के निर्देशों का पालन कराने अधिकारियों ने ली जिला मुख्यालय और तहसीलों में डीजे संचालकों, पिकअप वाहन संचालकों की बैठक

रायगढ़

ध्वनि प्रदूषण को लेकर शासन द्वारा सभी जिले के प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का अक्षरश: सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए है। निर्देशों के पालन में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल एवं पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर जिले के सभी तहसीलों में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने बैठक लेकर शासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है। जिला मुख्यालय रायगढ़ में एडिशनल एसपी आकाश मरकाम की अध्यक्षता में पुलिस नियंत्रण कक्ष में डीजे संचालकों, पिकअप वाहन मालिकों तथा कंपनी अंतर्गत चलने वाले वाहन मालिकों, ट्रांसपोर्टर की बैठक ली गई। बैठक में एसडीएम रायगढ़ प्रवीण तिवारी, जिला परिवहन अधिकारी अमित कश्यप, डीएसपी ट्रैफिक रमेश चंद्रा, नगर निरीक्षक सुखनंदन पटेल, प्रशांत राव आहेर के साथ शहर में डीजे संचालन करने वाले, पिकअप वाहन संघ के सदस्यगण, कंपनियों में वाहन संचालन करने वाले ट्रांसपोर्टर मौजूद थे।

एडिशनल एसपी ने डीजे संचालकों, पिकअप वाहन चालकों को शासन द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी दी और नियमों का पालन करने हिदायत दिया गया जिसमें प्रमुख्त:-

वाहनों पर साउंड बॉक्स लगाकर डीजे बजाने के संबंध में- यह सुनिश्चित करें कि किसी भी वाहन पर साउंड बॉक्स न बजाया जाए। यदि किसी वाहन में साउंड बॉक्स पाया जाता है तो साउंड बॉक्स को जब्त कर वाहन का रिकॉर्ड रखा जाए। जब्त साउंड बॉक्स को मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) के आदेश के बाद ही छोड़ा जाए। दूसरी बार पकड़े जाने पर उस वाहन का परमिट निरस्त कर दिया जाएगा।

कार्यक्रमों में निर्धारित मानकों से अधिक होने पर : शादी, जन्मदिन, धार्मिक- सामाजिक कार्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण निर्धारित मानकों से अधिक ना हो किसी टेंट हाउस, साउंड सिस्टम सप्लायर या डीजे का ध्वनि प्रदूषण करने वाला उपकरण पाया जाता है तो उसे सीधे जब्त कर लिया जाएगा।

प्रेशर हॉर्न या मल्टी टोन हॉर्न के उपयोग के संबंध में :- वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मल्टी टोन हॉर्न पाया जाता है तो उसे तत्काल वाहन से उतारकर नष्ट कर देंगे तथा रजिस्टर में दर्ज करेंगे। वाहन मालिक और चालक का डाटाबेस वाहन नंबर सहित इस प्रकार संधारित करेंगे कि दोबारा अपराध होने पर वाहन को जब्त कर लिया जाए और जब्त वाहनों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बिना छोड़ा न जा सके।

चन्द्रनाहू (चन्द्रा) समाज के निर्माणाधीन भवन में चोरी, सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज

- बोरवेल का वायर, बिजली वायरिंग सामान, वायर, बोर्ड, कालम रिंग व छड़ चुरा ले गए अज्ञात चोर

रायगढ़

जगतपुर में निर्माणाधीन चन्द्रनाहू (चन्द्रा) समाज के भवन से 7 सितंबर की रात को अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जहां से बोरवेल का वायर, बिजली वायरिंग सामान, वायर, बोर्ड, कालम रिंग, छड़, चोरी की चोरी हुई है। इससे पहले भी निर्माणाधीन भवन के बाहर से कुछ छड़ और बोरवेल के वायर की चोरी हो हुई है। उक्त चोरी की घटना के संदर्भ में चन्द्रनाहू (चन्द्रा) समिति रायगढ़ क्षेत्र के अध्यक्ष भगत चन्द्रा व भवन समिति अध्यक्ष गोरख चन्द्रा द्वारा सिटी कोतवाली में 8 सितंबर को शिकायत दर्ज करवाई गई है, और उक्त घटना कि जाँच कर अज्ञात चोरों को पकड़कर उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

ज्ञात हो कि चन्द्रनाहू (चन्द्रा) समाज रायगढ़ का सामाजिक भवन की निर्माण कार्य प्रगतिशील है, परन्तु 7 सितंबर की रात कुछ अज्ञात चोरों द्वारा भवन के अन्दर घुसकर चोरी कर लिया गया है, घटना का तब पता चला जब हर रोज कि तरह सुबह 8:30 बजे मजदूरों द्वारा भवन को खोला गया तब उसने देखा कि भवन के अन्दर से बोरवेल का वायर कटिंग मिला, शंका होने पर देखा कि तो बिजली वायरिंग सामान, वायर, बोर्ड, कालम रिंग, छड, चोरी हो चूका था, इससे पूर्व में भी कुछ छड़ और बोरवेल का वायर भवन के बाहर से चोरी हो चुका है।

अवैध महुआ शराब बिक्री सूचना पर तमनार पुलिस की कार्यवाई 12 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपित गिरफ्तार

रायगढ़

थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर के नेतृत्व में तमनार पुलिस लगातार अवैध महुआ शराब पर अंकुश लगाने कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में आज तमनार पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम कोलम, भगवती नगर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तमनार पुलिस की पेट्रोलिंग टीम सुबह पेट्रोलिंग और माइनर एक्ट की कार्यवाही के लिए तमनार, बासनपाली, मौहापाली, कठरापाली, सरईडीपा, कोलम की ओर रवाना हुई थी। इस दौरान, सरईडीपा चौक बाजार के पास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कोलम, भगवती नगर में बिहारी लाल मांझी अवैध रूप से महुआ शराब बनाकर उसकी बिक्री कर रहा है।

मुखबिर की सूचना पर प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे के हमराह पुलिस टीम और गवाहों के साथ बिहारी लाल मांझी को उसके घर पर तलब किया गया, जहां वह मौजूद था। प्रारंभिक पूछताछ में उसने महुआ शराब बनाने और बेचने की बात से इनकार किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार किया। आरोपी ने अपने आंगन में छिपाकर रखी सफेद रंग की प्लास्टिक की डिब्बी से 12 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत लगभग रु.2,400 रुपये है, पुलिस के सामने पेश की।

आरोपी बिहारी लाल मांझी, पिता मालिक राम मांझी, उम्र 24 वर्ष, निवासी कोलम, भगवती नगर,

चक्रधर नगर पुलिस ने मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को परिजनों से मिलाया

रायगढ़

कल एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए चक्रधरनगर पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक कल शाम करीब 03.30 बजे थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर को क्षेत्र के रहवासी से सूचना मिली कि एक विक्षिप्त व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पंजरी प्लांट के आसपास घूम रहा है, थाना प्रभारी ने अपनी पेट्रोलिंग टीम के साथ मौके पर पहुंचकर व्यक्ति की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल फोन, आधार कार्ड, और कुछ अन्य सामान बरामद किए गए।

आधार कार्ड पर तूफान लेंका, थाना पुरूषोत्मपुर जिला गंजाम, ओडिशा अंकित था।

व्यक्ति के पास मिले आधार कार्ड और मोबाइल फोन के माध्यम से पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क साधने का प्रयास किया गया। साथ ही थाना प्रभारी ने व्यक्ति के निवास थाने पुरूषोत्मपुर, गंजाम में पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी। ओडिशा में उक्त व्यक्ति की पहचान तूफान लेंका के रूप में स्पष्ट हुआ। तूफान लेंका के परिजनों ने बताया कि तूफान कुछ दिनों पहले सूरत (गुजरात) काम करने गया था। वहां उसकी तबीयत बिगड़ गई और मानसिक स्थिति खराब होने के कारण उसे गांव वापस लाया जा रहा था। रास्ते में वह ट्रेन से कहीं उतर गया और लापता हो गया। संभावना जताई जा रही थी कि वह रायगढ़ स्टेशन पर उतर गया होगा।

चक्रधरनगर पुलिस ने उसकी मानसिक स्थिति का ख्याल रखते हुए उसे पूरी रात थाने में सुरक्षित रखा गया। सुबह होते ही उसके परिजनों को बुलाया गया और युवक को उनके सुपुर्द किया गया। परिजनों की खुशी और राहत देखते ही बनती थी, उन्होंने पुलिस का धन्यवाद देते हुए उनकी इस मानवीय पहल की सराहना की। चक्रधर नगर पुलिस की इस पहल ने यह दिखाया है कि सही समय पर सही कदम उठाकर कैसे एक जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। यह घटना एक उदाहरण है कि पुलिस बल किस तरह समाज की सेवा में न सिर्फ एक संरक्षक बल्कि एक संवेदनशील साथी के रूप में भी खड़ा रहता है।

लूट के आरोपियों को घरघोड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूटी गई स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद

रायगढ़

थाना घरघोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत लूटपाट की घटना में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी तुषार बैरागी, पिता लक्ष्मीकांत बैरागी, निवासी बुड़िया, थाना तमनार, जिला रायगढ़ द्वारा आज सुबह थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 14 सितंबर 2024 की रात, जब वह अपने मित्रों के साथ घरघोड़ा में गणेश जी के दर्शन करने गया था, तब घरघोड़ा के वार्ड क्रमांक 11 में बदमाशों ने उसका रास्ता रोका और उस पर हमला किया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी महेश पैकरा और वसीम खान ने उसकी स्कूटी (टीवीएस जुपिटर, क्रमांक CG 13 BA 3768) और मोबाइल फोन (एप्पल आईफोन 7) लूट लिया। घटना की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 270/2024, धारा 128(2), 309(6), 3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीकृत किया गया और टीआई अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में त्वरित विवेचना, आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई।

पुलिस ने तत्काल दोनों आरोपियों, 1. महेश पैकरा (उम्र 36 वर्ष) वार्ड नंबर 11 घरघोड़ा और 2. वसीम खान (उम्र 32 वर्ष), वार्ड नंबर 2 घरघोड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं।

बरामदगी और पूछताछ के आधार पर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

घरघोड़ा पुलिस की नागरिकों से अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन पर संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित तिवारी, सहायक उप निरीक्षक राकेश मिश्रा, विल्फ्रेड मसीह, प्रधान आरक्षक राजेश उरांव, आरक्षक राजेश राठौर, किशोर राठौर एवं हमराह स्टाफ की विशेष भूमिका रही है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

गणेश विसर्जन के दौरान हुई मारपीट में शामिल युवक व अपचारी बालक को पुसौर पुलिस ने लिया हिरासत में, हत्या के प्रयास अपराध में भेजा रिमांड पर

रायगढ़

दिनांक 13.09.2024 की रात्रि (12.30 बजे) गणेश विसर्जन के दौरान हुई मारपीट की घटना पर पुसौर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। घटना के संबंध में संतराम मिर्रे, पिता कुरसों मिर्रे, उम्र 21 वर्ष, निवासी औरदा, थाना पुसौर, जिला रायगढ़ ने सुबह थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि गणेश विसर्जन के दौरान एक लड़के (विधि के साथ संघर्षरत बालक) ने बिना किसी कारण के उसे हाथ-मुक्के से मारपीट की। इसके बाद, संतराम अपने चाचा लालकुमार ओग्रे और मोहल्लेवालों के साथ घोघा तालाब पर गणेश विसर्जन के लिए गया।

गणेश विसर्जन के बाद, जब वे घर लौट रहे थे, रात करीब 12:30 बजे सामुदायिक भवन के पास पहुंचे, तो वही लड़का दीपक सिदार और एक अन्य लड़के को बुलाकर पुनः मारपीट करने लगा। बीच-बचाव का प्रयास करने पर चाचा लालकुमार के साथ भी अभद्रता की गई, और तीनों ने जान से मारने की नीयत से हाथ-मुक्का और ईंट से मारपीट कर लालकुमार के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंचाई। घायल को तुरंत मेडिकल कॉलेज रायगढ़ और बाद में उच्च उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया।

घटना की रिपोर्ट पर थाना पुसौर में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 210/2024 धारा 109(1), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीकृत किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीआई रोहित बंजारे ने अपचारी बालक और आरोपी दिनेश सिदार, पिता लक्ष्मण सिदार (उम्र 24 वर्ष), को हिरासत में लिया गया और न्यायिक रिमांड पर दोनों को भेजा गया है, जहां से आरोपी दीपक को जेल दाखिल किया गया और विधि के साथ संघर्षरत बालक को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी पुसौर टीआई रोहित बंजारे और उनकी टीम द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर गंभीर वारदात की सूचना पर त्वरित कार्यवाही में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे, उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर, सहायक उप निरीक्षक कोसो सिंह जगत, आरक्षक कीर्तन यादव, महेश चौहान और हमराह स्टाफ का विशेष योगदान रहा।